न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 20/2019

बउनवानः–

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

रामनाथी बाई पत्नि मूलचंद वगै0 जाति बैरवा निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

दायरा दिनांकः 13.02.2019 निर्णय दिनांक : 13.02.2019

पटवारी हल्का बमोरीकलां, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम बमोरीकलां में केचमेंट वर्ष 1999–2000 के दौरान सेटलमेंट खसरा नं0 58/2120 रकबा 1.26 है0 व खसरा नं0 59/2121 रकबा 0.86 है0 खाता सरकार दर्ज था उक्त खसरा नम्बरान में से आंशिक रकबा क्रमशः 0.71 है0 व 0.26 है0 केचमेंट के दौरान लिया गया था। उक्त रकबे के बाद केचमेंट से बाहर खसरा नं0 58/2120 का रकबा 0.55 है0 व खसरा नं0 59/2121 रकबा रकबा 0.60 है0 राजस्व रेकार्ड में शेष रहना चाहिए था। जो ववर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–76 में मौजूद नही है परन्तु केचमेंट विभाग द्वारा रकबा मौके पर अधिक लिया गया है। तथा रेकार्ड में कम दर्शाया गया है। मौके राजस्व नक्शे व केचमेंट नक्शे के अनुसार उक्त खसरा नं0 58/2120 का रकबा 0.37 है0 व खसरा नं0 59/2121 का रकबा 0.40 है0 होना चाहिए।

खसरा नं0 24 रकबा 0.68 है0 व खसरा नं0 31 रकबा 0.10 है0 वर्तमान जमाबंदी में खातेदार रामनाथी बाई पत्नि स्व0 मूलचंद वगै0 जाति बैरवा सा0 बमोरीकलां में केचमेंट के दौरान उक्त खातेदारों को ग्राम बमोरीकलां के रकबे की ऐवज में कटौती बाद ग्राम चक भटेडियां खसरा नं0 168 रकबा 0.72 है0 में दिया जा चुका है जो ग्राम चक भटेडिया की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–76 में दर्ज है जबकि उक्त खातेदारान के नाम ग्राम बमोरीकलां से खसरा नं0 24 व 31 के लिए हटाया जाना चाहिए था।

अतः ग्राम बमोरीकलां में खसरा नं0 58/2120 रकबा 0.37 है0 व खसरा नं0 59/2121 रकबा 0.40 है0 कुल रकबा 0.78 है0 दर्ज किया जाना है तथा खसरा नं0 24 रकबा 0.68 है0 व खसरा नं0 31 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.78 है0 को ग्राम बमोरीकला से हटाया जाना है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 13.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1– सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2044–63 2– वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–76 3– ग्राम चक भटेडिया वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 4– फर्द इख्तलाफ केचमेंट ब्लॉक अरनिया ए वर्ष 1997–98 5– फई इख्तलाफ केचमेंट ब्लॉक माल बमोरी प्रथम वर्ष 1999–2000 6– फर्द इख्तलाख केचमेंट ब्लॉक बमोरीकलां वर्ष 1999–2000 की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि ग्राम बमोरीकलां में खसरा नं0 58/2120 रकबा 0.37 है0 व खसरा नं0 59/2121 रकबा 0.40 है0 कुल रकबा 0.78 है0 दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा खसरा नं0 24 रकबा 0.68 है0 व खसरा नं0 31 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.78 है0 को ग्राम बमोरीकला से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन